शहरी विकास विभाग
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रः दिल्ली सरकार
9वां तल, सी–विंग, दिल्ली सचिवालय, इन्द्रप्रस्थ इस्टेट, नई दिल्ली

विधायक का नाम : श्री गिरीश सोनी

दिनांक : 26.03.2018

विधान सभा तारांकित प्रश्न संख्या : 102

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :–

क्र. सं.	प्रश्न	उत्तर
क	पिछले 10 वर्षों में सरकारी स्वामित्व वाली जमीनों, पार्कों, खुली जगहों, सड़कों इत्यादि पर अवैध अतिक्रमण कर चल रही दुकानों, टैंट की दुकानों, बिल्डिंग मैटिरियल के लिए घेरी गई जगहों, टैक्सी स्टैंडों इत्यादि को हटाने के लिए डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट्स, नगर निगमों के उपायुक्तों एवं दिल्ली पुलिस के उपायुक्तों द्वारा क्या कार्रवार्र की गई है;	**दिल्ली पुलिस** दिल्ली पुलिस संबंधित विभाग को अतिक्रमण हटाने के लिए मदद देती है तथा अतिक्रमणकारियों के खिलाफ भी समय–समय पर कार्यवाही करती है । दिल्ली पुलिस द्वारा वर्ष 2015, 2016, 2017 व 2018 (28.02.2018 तक) में अतिक्रमण के खिलाफ धारा 83/97, 100 डीपी एक्ट और धारा 283 भा. द. स. के तहत की गई कार्यवाही का ब्योरा **परिशिष्ट–'क'** पर संलग्न है । इसके अलावा दिल्ली पुलिस द्वारा अपने कर्मचारियों व अधिकारियों के विरूद्व वर्ष 2015, 2016, 2017 व 2018 (28.02.2018 तक) अतिक्रमण के सन्दर्भ में की गई कार्यवाही का ब्योरा **परिशिष्ट–'ख'** पर संलग्न है । **उत्तरी दिल्ली नगर निगम** यह सत्य नहीं है। उत्तरी दिल्ली नगर निगम की जमीनों पर अवैध अतिक्रमण के विरूद्व जब भी कोई मामला संज्ञान में आता है तो उसे हटाने के लिए संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा तुरंत कार्यवाही की जाती है। तथा संबधित थाना अध्यक्ष को पत्र द्वारा अवगत कराया जाता है कि सरकारी भूमि पर पुनः अतिक्रमण न होने दे। **मंडलायुक्त (राजस्व विभाग)** जमीन स्वामित्व एजेंसी द्वारा अपनी जमीन पर अतिक्रमण हटाने के लिए प्रस्ताव DTF/STF में लाए जाते हैं। तदापरान्त संबंधित जमीन स्वामित्व एजेंसी, दिल्ली पुलिस व राजस्व विभाग मिलकर स्थाई अतिक्रमणों को हटाने के संबंध में यथोचित कार्यवाही करते है। मूल रूप में जो भूमि जिस विभाग के स्वामित्व में है उस पर अतिक्रमण न हो यह उसी विभाग का दायित्व है। अस्थायी अतिक्रमण जैसेः– बिल्डिग मैटिरियल डालना, टैक्सी स्टैंड के रूप में जमीन पर अतिक्रमण इत्यादि को संबंधित भू–एजेंसियॉ स्वयं अपने स्तर पर हटवा लेती है। लेकिन यदि इस संबंध में विभाग से सहयोग मांगा जाता है तो उस एजेंसी को सहयोग कर अतिक्रमण हटवा दिया जाता है। **दक्षिणी दिल्ली नगर निगम** यह सत्य नहीं है। दक्षिणी दिल्ली नगर निगम की जमीनों पर अवैध अतिक्रमण के विरूद्ध जब भी कोई मामला संज्ञान में आता है तो उसे हटाने के लिए संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा तुरंत कार्यवाही की जाती है तथा संबंधित थानाध्यक्ष को

		पत्र द्वारा अवगत कराया जाता है कि सरकारी भूमि पर पुनः अतिक्रमण न होने दें। दक्षिणी दिल्ली नगर निगम के अंतर्गत चारों क्षेत्रीय कार्यालयों का पिछले 10 वर्ष का अतिक्रमण विरूद्ध कार्यवाही का विवरण संलग्न है। **पूर्वी दिल्ली नगर निगम** पूर्वी दिल्ली नगर निगम सड़कों पर लिए गए अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही दिल्ली पुलिस की मदद से करती है। इसके अन्तर्गत 08.06.2017 से 17.03.2018 तक किए गए कुल 208 कार्यवाही में 2760 सामान व 3426 वाहन जब्त किए गए हैं। पिछले 10 वर्षों के दौरान 07 पार्कों में किए गए अतिक्रमण को निगम द्वारा हटाया गया है।
ख	इन वर्षों के दौरान हटाए गएं अतिक्रमणों का विवरण क्या है;	**दिल्ली पुलिस** उपरोक्त 'क' के अनुसार । **उत्तरी दिल्ली नगर निगम** उत्तरी दिल्ली नगर निगम के अंतर्गत क्षेत्रिय विभागों द्वारा हटाई गये अतिक्रमणों का विवरण **अनुलग्नक 'क'** पर सलंग्न है। **मंडलायुक्त (राजस्व विभाग)** 1. जिन ग्राम सभा की जमीनों पर अतिक्रमण है उसकी सूची संलग्न है, ऐसे अतिक्रमण को हटाने के लिए कानूनी रूप से कार्यवाही की जा रही है। 2. इसी प्रकार जिला–दक्षिण पश्चिम में कापसहेडा में ग्राम सभी की जमीनों का अतिक्रमण को हटाने के लिए कानूनी रूप से कार्यवाही की जा रही है। 3. दक्षिण जिला में बी आर टी रोड, चिराग दिल्ली की दुकानों बिल्डिग मेटेरियल से संबंधित थी जो लगभग 50 वर्षों से अधिक से चिराग दिल्ली में अवैध अतिक्रमण हुए थी यह चिराग दिल्ली में एक बीघा सत्रह बिस्वे भूमि पर से अवैध अतिक्रमण हटाया गया। 4. दक्षिण जिला में लैंड आनिंग एजेंसी आदि, P.W.D से अतिक्रमण की सुचना मिली और ऍम बी रोड से जेड पॉइंट इग्रू रोड तक लगभग 200 दुकानों का अतिक्रमण 12 फरवरी को हटाया गया। 5. वर्ष 2017–18 में रोहिणी में अतिक्रमण हटाने संबंधि कार्यवाही का विवरण संलग्न है। 6. जिला शाहदरा में पिछले 2 वर्षों में ताहिरपुर रेड लाईट जी.टी.बी.अस्पताल, दिलशाद कॉलोनी, रोड न0–70 निकट बस डिपों, अप्सरा बॉर्डर, झिलमिल औद्योगिक क्षेत्र, सुन्दर नगरी, मंडोली, लेप्रोसी कॉम्पलेक्स ताहिरपुर एवं शाहदरा फलाईओवर के नीचे, कृष्णानगर लाल क्वार्टर और गॉधी नगर, जी. टी. रोड, शाहदरा फलाईओवर के नीचे, एम.आई.जी लोनी रोड के पास से अतिक्रमण हटाया गया है। पूर्वी दिल्ली नगर निगम ही मुख्य रूप से अतिक्रमण हटाने का जिम्मेदार है। 7. उपलब्ध जानकारी के अनुसार जिला पश्चिम में अतिक्रमण हटाने के लिए निम्नलिखित कार्यवाही की गई–पिछले एक वर्ष में तिहाड़ गॉव में एस.टी.एफ

		द्वारा 12 बीघा 8 बिस्वा वक्फ बोर्ड की जमीन को खाली करवाकर दीवार करवाई गई मुख्य मार्केट जैसे कि ज्वालापुरी मार्केट, मादीपुर मार्केट, नांगलोई मार्केट, पंजाब बस्ती, पी.वी.सी मार्केट ज्वालापुरी एवं मुख्य रोड यातायात की समस्या रहती है। जिसमें ट्रैफिक पुलिस, दिल्ली पुलिस के साथ जैसे कि पीरागढ़ी फलाईओवर, नांगलोई रोड, नजफगढ़ रोड पर समय–समय पर कार्यवाही की जाती है। विकासपुरी से मीरा बाग फलाईओवर के आस पास से अतिक्रमण को हटाने के लिए एस.टी.एफ द्वारा अतिक्रमण हटाने का प्रोग्राम तय किया गया था। परंतु माननीय हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली के स्टे के उपरान्त एस.टी.एफ के निर्देशों को रोक दिया गया था। डी.डी.ए रोड कठपुतली कॉलोनी का अतिक्रमण हटाया गया, जिसमें राजस्व विभाग शामिल नहीं था। इसके अलावा बहुत से शिकायतें भू–मालिक एजेंसी को कार्यवाही हेतु भेजी गई। **दक्षिणी दिल्ली नगर निगम** उपरोक्तानुसार **पूर्वी दिल्ली नगर निगम** उपरोक्त 'क' के अनुसार
ग	क्या यह सत्य है कि इन अतिक्रमणों को रोकने के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के होते हुए भी ये अतिक्रमण धड़ल्ले से जारी है;	**दिल्ली पुलिस** उपरोक्त 'क' के अनुसार । **उत्तरी दिल्ली नगर निगम** **यह सत्य नहीं है ।** **मंडलायुक्त (राजस्व विभाग)** यह सत्य नहीं है, अतिक्रमण रोकने/हटाने की कार्यवाही समय–समय पर की जाती है। **दक्षिणी दिल्ली नगर निगम** यह सत्य नहीं है। **पूर्वी दिल्ली नगर निगम** अतिक्रमण हटाने के बाद पुनः अतिक्रमण न हो इसके लिए पुलिस विभाग लिखा जाता है।
घ	क्या यह भी सत्य है कि ये अधिकारी सरकार के हितों की रक्षा करने में नाकाम रहे हैं;	**दिल्ली पुलिस** उपरोक्त 'क' के अनुसार । **उत्तरी दिल्ली नगर निगम** **यह सत्य नहीं है ।** **मंडलायुक्त (राजस्व विभाग)** उपरोक्तानुसार **दक्षिणी दिल्ली नगर निगम** उपरोक्तानुसार **पूर्वी दिल्ली नगर निगम** **यह सत्य नहीं है ।**
च	क्या यह भी सत्य है कि फील्ड विजिट करने के लिए इन अधिकारियों के पास पर्याप्त वाहन एवं स्टाफ मौजुद है; और	**दिल्ली पुलिस** उपरोक्त 'क' के अनुसार । उत्तरी दिल्ली नगर निगम के विभिन्न क्षेत्रिय कार्यालयों में सीमित संसाधन उपलब्ध है। **उत्तरी दिल्ली नगर निगम** उत्तरी दिल्ली नगर निगम के विभिन्न क्षेत्रिय कार्यालयों में सीमित संसाधन उपलब्ध है।

		मंडलायुक्त (राजस्व विभाग) स्टाफ और संसाधनों की कमी के बावजूद जन हित में बेहतर कार्य किए जा रहे हैं। **दक्षिणी दिल्ली नगर निगम** फील्ड विजिट करने के लिए अधिकारियों के पास पर्याप्त वाहन एवं स्टाफ मौजूद है। **पूर्वी दिल्ली नगर निगम** निगम के फील्ड स्टाफ प्रतिदिन फील्ड में जाकर अतिक्रमण हटाने का कार्य करते हैं। अधिकृत अधिकारियों के पास वाहन है। विभाग में कुछ पद खाली है।
छ	पिछले 10 वर्षों में इन अतिक्रमण करने वालों एवं जिन अधिकारियों ने इन अतिक्रमणों को होने दिया, उनके विरूद्व हुई कार्रवाई, यदि कोई हुई तो, उसका विवरण क्या है?	**दिल्ली पुलिस** उपरोक्त 'क' के अनुसार । **उत्तरी दिल्ली नगर निगम** दिल्ली नगर निगम के विभाजन मई 2012 से आज तक सतर्कता विभाग उत्तरी दिल्ली नगर निगम द्वारा 03 अधिकारी/कर्मचारी के विरूद्व सरकारी भूमि पर अतिक्रमण से संबधित शिकायतो पर मेजर पैनल्टी की अनुषासनात्मक कार्यवाही की गई है। **मंडलायुक्त (राजस्व विभाग)** जब भी अतिक्रमण से संबंधित मामला संज्ञान में लाया जाता है उनके संबंध में संबंधित भू–स्वामित्व एजेंसियों को सहयोग दिया जाता है तथा अतिक्रमणों को हटाने की कार्यवाही की जाती है। **दक्षिणी दिल्ली नगर निगम** दक्षिणी दिल्ली नगर निगम 2012 में अस्तित्व में आया दिल्ली नगर निगम के विभाजन के बाद/तत्पश्चात् ऐसी कोई कार्यवाही नही हुई है। **पूर्वी दिल्ली नगर निगम** सभी अधिकारी एवं फील्ड स्टाफ अतिक्रमणों को रोकने हेतु पूरा प्रयत्न करते हैं एवं निरन्तर रेड प्रोग्राम किए जाते हैं। किसी के विरूद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई है।

R.S. Parmar
Dy. Secy. (Urban Development)
Govt. of NCT of Delhi
Delhi Secretariat

परिशिष्ट-'क'

The details of action taken against the encroachers in Delhi under section 83/97, 100 Delhi Police Act and Section 283 of Indian Penal Code (IPC) by Delhi Police during the years 2015, 2016, 2017 and 2018 (upto 28.02.2018)

Year	83/97 DP Act	100 DP Act	283 IPC
2015	1252	258	2841
2016	968	204	3665
2017	1392	177	4544
2018 (upto 28.02.2018)	153	100	792

परिशिष्ट–'ख'

DETAILS OF ACTION TAKEN AGAINST POLICE PERSONNEL (RANKWISE) WHO WERE FOUND GUILTY IN ALLOWING ENCROACHMENTS/ILLEGAL CONSTRUCTIONS DURING THE YEARS 2015, 2016, 2017 AND 2018 (UPTO 28.02.2018)

2015

Rank	DE	SCN	Censure	Explanation
Inspr.	01	04	01	09
SI	-	03	-	10
ASI	-	03	-	-
HC	-	08	02	09
Const.	--	10	10	28

2016

Rank	DE	SCN	Censure	Explanation	Warning
Inspr.	02	01	-	01	02
SI	-	03	-	-	01
HC	01	04	-	02	-
Const.	02	05	02	04	03

2017

Rank	SCN	Censure	Explanation
Inspr.	-	-	02
SI	02	-	02
ASI	09	-	01
HC	09	01	04
Const.	09	-	06

2018 (28.02.2018)

NIL

उत्तरी दिल्ली नगर निगम

38/C

पूरक सूचनाः— उत्तरी दिल्ली नगर निगम के अधीन 60 फुट से कम चौड़े रोड आते है। 60 फुट से बड़े रोंड दिल्ली सरकार के अधीन है। उत्तरी दिल्ली नगर निगम के अंतर्गत पार्को, अस्पतालों, डिस्पेंन्सरी, सड़को पर जो पुराने समय से चले आ रहे धार्मिक स्थलों द्वारा किये गये अतिकमणों की सूची संलग्न है। इन धार्मिक स्थलों द्वारा किये गये अतिकमणों की सूची दिल्ली सरकार द्वारा गठित रीलिजियस कमेटी सक्षम अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रस्तुत कर दी गई है।

उपरोक्त उत्तर आयुक्त महोदय द्वारा अनुमोदित है।

भवदीय

23/3/2018

प्रशासनिक अधिकारी/परामर्शदाती

(सदन एवं समिति)

पूर्वी दिल्ली नगर निगम

37/C

विधान सभा तारांकित प्रश्न संख्या 102 की पूरक सूचना

पूर्वी दिल्ली नगर निगम के अर्न्तगत उद्यान विभाग के पार्कों में पिछले 10 वर्षों को कोई अवैध कब्जा मौजुद नहीं है। इसके अलावा पिछले 10 वर्षों के दौरान जब भी किन्ही असामाजिक तत्वों द्वारा अवैध कब्जा करने की कोशिश की गयी है, इस तरह के 2 नं0 के कब्जे हटा दिये गये है। डी.डी.ए. से दि.न.नि.के उद्यान विभाग में आए पार्कों में धार्मिक कब्जों जैसे मन्दिर, मस्जिद, गुरूद्वारा, चर्च इत्यादि 35 नं0 कब्जे उद्यान विभाग के पार्कों में पहले से ही मौजुद है। पूर्वी दिल्ली नगर निगम की सडकों पर किये गये अतिक्रमण को हटाने की कार्यवाही दिल्ली पुलिस की मद्द से करती है। सामान्य शाखा ने दिनांक 08.06.2017 से 17.03.2018 तक 172 रेड प्रोग्राम किये है, जिसमें 1238 आर्टिकल व 3083 अवैध पार्किंग व अवैध रूप से सडक पर खडे वाहन जब्त किये है। रू0 1,69,27,295/– जुर्माना वसूल किया है। अभियांत्रिक विभाग– अभियांत्रिकी विभाग के अर्न्तगत आने वाली सडकों से अतिक्रमण पुलिस की सहायता से 01.04.2017 से 21.03.2018 तक 62 अतिक्रमण हटाए गए है।

23/3/18

एस.एस.ए.

पूरक सूचना:-- माननीय उप-राज्यपाल द्वारा टास्क फार्स की नियुक्ति की गई है जो कि 5 मुख्य बवततपकवत में पुलीस फोर्स के साथ अतिकमण हटाने के लिये बनाई गई है यह अस्थाई अतिकमण अस्थाई के रूप में बार-बार उभरती रहती है जिसपर समय-समय पर कार्यवही की जाती है।

दक्षिणी दिल्ली नगर निगम के अधीन 60 फुट से कम चौड़े रोड आते है। 60 फुट से बड़े रोड दिल्ली सरकार के अधीन है। दक्षिणी दिलली नगर निगम के अंतर्ग पार्को, होस्पीटल, डिस्पेंसरी, सड़कों पर जो पुराने समय से चले आ रहे धार्मिक स्थलों द्वारा किये गए अतिकतणों को समय समय पर हटाते रहते है।

यह उत्तर सक्षम अधिकारी से स्वीकृत है।

भवदीय

13.3.18

प्रशासनिक अधिकारी

सदन एव समिति, द0दि0न0नि0

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
कार्यालय मंडलायुक्त (राजस्व)
संसदीय शाखा

पूरक सामग्री
तारांकित प्रश्न संख्या 102

दिल्ली की विभिन्न एजेंसियॉ जैसे दिल्ली नगर निगम, दिल्ली विकास प्राधिकरण, सिंचाई व बाढ़ नियंत्रण विभाग, दिल्ली जल बोर्ड, रेलवे इत्यादि अपनी–अपनी जमीन के संदर्भ में उत्तरदायी हैं । जहॉ कहीं सरकारी स्वामित्व वाली जमीनों पर अतिक्रमण होता है उनको हटाने का कार्य सम्बन्धित भू–स्वामित्व वाले विभाग का होता है राजस्व विभाग के अन्तर्गत अतिक्रमण हटवाने हेतु आदेश संख्या एफ (35)/Coord/Div.Comm/Pt.File/1907 दिनांक 29/6/2015 के तहत प्रत्येक जिला में एस0टी0एफ0 गठित की गयी है । जिस सरकारी एजेंसी से राजस्व विभाग को अतिक्रमण हटाने के लिए प्रस्ताव एस0टी0एफ0 के समक्ष प्रेषित किया जाता है तो सम्बन्धित भू–स्वामीत्व वाला विभाग, पुलिस व राजस्व विभाग के सम्बन्धित अधिकारी मिलकर अतिक्रमण हटाने के लिए अपेक्षित कार्यवाही कर अतिक्रमण हटाते हैं । समय–समय पर इस सम्बन्ध में बैठक कर अतिक्रमण हटाने के सम्बन्ध में योजना बनाकर कार्यवाही की जाती है । इस सम्बन्ध में बैठक का विवरण भी संलग्न है ।

राजस्व विभाग ग्राम सभा की जमीनों पर अतिक्रमण को हटाने के लिए कानूनी रूप से कार्यवाही करता है । ग्राम सभा की जिन जमीनों का अतिक्रमण हुआ है उसकी सूची प्रश्न के साथ संलग्न की गयी है तथा उनको हटाने के सम्बन्ध में कानूनी कार्यवाही की जा रही है ।

1. दक्षिण जिला में बी आर टी रोड, चिराग दिल्ली की दुकानों बिल्डिंग मटेरियल से सम्बंधित थी जो लगभग 50 वर्षो से अधिक से चिराग दिल्ली में अवैध अतिक्रमण हुए थी यह चिराग दिल्ली में एक बीघा सत्रह बिस्वे भूमि पर से अवैध अतिक्रमण हटाया गया।
2. दक्षिण जिला में लैंड आनिंग एजेंसी आदि, P.W.D. से अतिक्रमण की सुचना मिली और ऍम बी रोड से जेड पॉइंट इयू रोड तक लगभग 200 दुकानों का अतिक्रमण 12 फरवरी को हटाया गया।
3. जिला शाहदरा में पिछले दो वर्षों में ताहिरपुर रेड लाइट जी टी बी अस्पताल, दिलशाद कॉलोनी, रोड नं. 70 निकट बस डिपो, अप्सरा बॉर्डर, झिलमिल औधयोगिक क्षेत्र, सुंदर नगरी, मंडोली, लेप्रोसी काम्प्लेक्स ताहिरपुर एवं शाहदरा फलाईओवर के नीचे, कृष्णा नगर लाल क्वार्टर और गाँधी नगर, जी.टी. रोड शाहदरा फलाईओवर के नीचे, एम आई जी लोनी रोड के पास से अतिक्रमण हटाया गया है। पूर्वी दिल्ली नगर निगम ही मुख्य रूप से अतिक्रमण हटाने का जिम्मेदार है।

4. उपलब्ध जानकारी के अनुसार जिला पश्चिम मे अतिक्रमण हटाने के लिए निम्नलिखित कार्यवाही की गई:– पिछले एक वर्ष में तिहाड़ गॉव में STF द्वारा 12 बीघा 8 बिस्वा वक्फ बोर्ड की जमीन को खाली करवाकर दीवार करवाई गई।
मुख्य मार्किट जैसे कि ज्वाला पुरी मार्किट, मादीपुर मार्किट, नांगलोई मार्किट, पंजाबी बस्ती मार्किट, PVC मार्किट ज्वाला पूरी एवं मुख्य रोड पर यातायात की समस्या रहती है जिसमें ट्रैफिक पुलिस, दिल्ली पुलिस के साथ जैसे कि पीरागाढ़ी फलाईओवर, नांगलोई रोड, नजफगढ़ रोड पर समय समय पर कार्यवाही की जाती है।
विकास पुरी से मीरा बाग फलाईओवर के आस पास से अतिक्रमण को हटाने के लिए STF द्वारा अतिक्रमण को हटाने का प्रोग्राम तय किया गया था परन्तु माननीय हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली के स्टे के उपरान्त STF के निर्देशों को रोक दिया गया था। DDA द्वारा कटपुतली कॉलोनी का अतिक्रमण हटाया गया, जिस में राजस्व विभाग शामिल नहीं था।

वक्फ बोर्ड की एक जमीन पर तिहाड़ गांव में अतिक्रमण का मामला सामने आया है जिस पर कार्यवाही चल रही है ।

1– वाई–ब्लाक, मंगोलपुरी, बस्ती विकास केन्द्र के सामने से अतिक्रमण हटाया गया ।
2– एस–ब्लॉक, मंगोलपुरी, दिल्ली में दुकानों से अतिक्रमण हटाया गया।
3– टी–ब्लॉक, मंगोलपुरी दिल्ली के पास अवैध टैक्सी स्टेण्ड और वर्कशाप से अतिक्रमण हटाया गया ।
4– कतरन मार्केट, मंगालपुरी, दिल्ली से दुकाना का अवैध अतिक्रमण हटाया गया
5– सी–7 ब्लॉक, सुल्तानपुरी, दिल्ली में पार्क से अवैध अतिक्रमण हटाया गया।
6– हरिजन बस्ती, सुल्तानपुरी, दिल्ली में सार्वजनिक शौचालयों और रास्तों से अतिक्रमण हटाया गया,
7– बुद्ध विहार, दिल्ली से अवैध अतिक्रमण हटाया गया ।

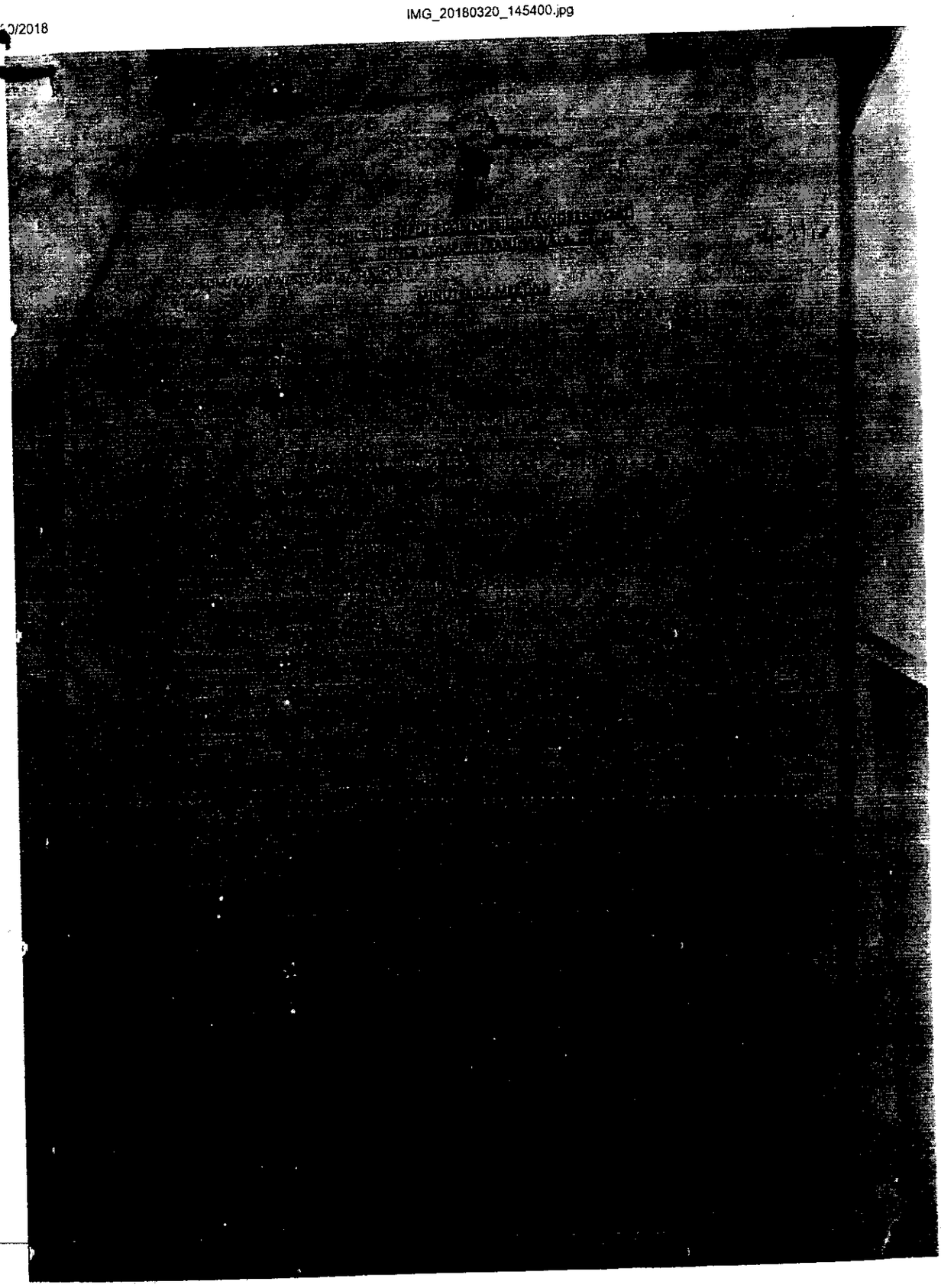

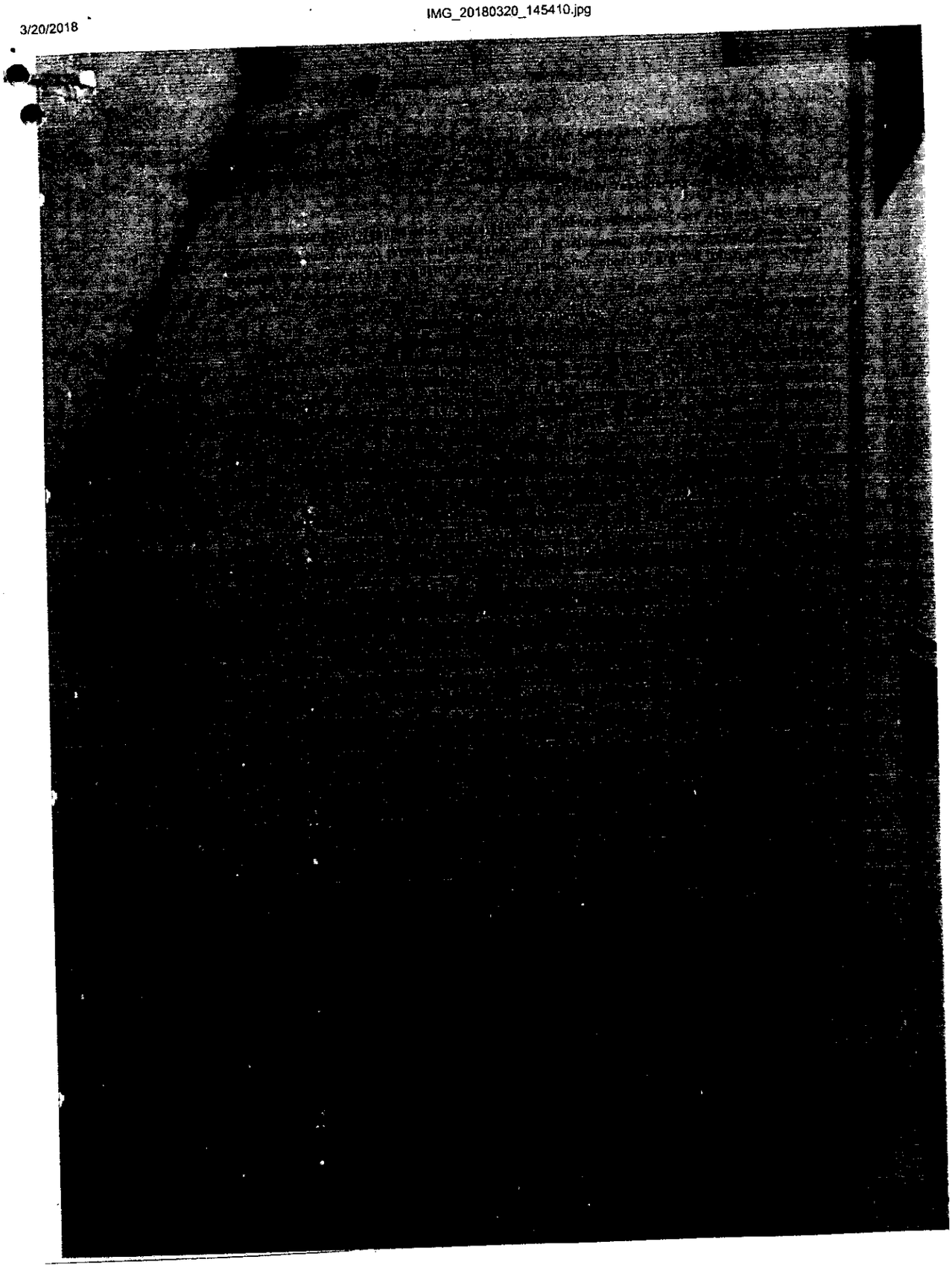

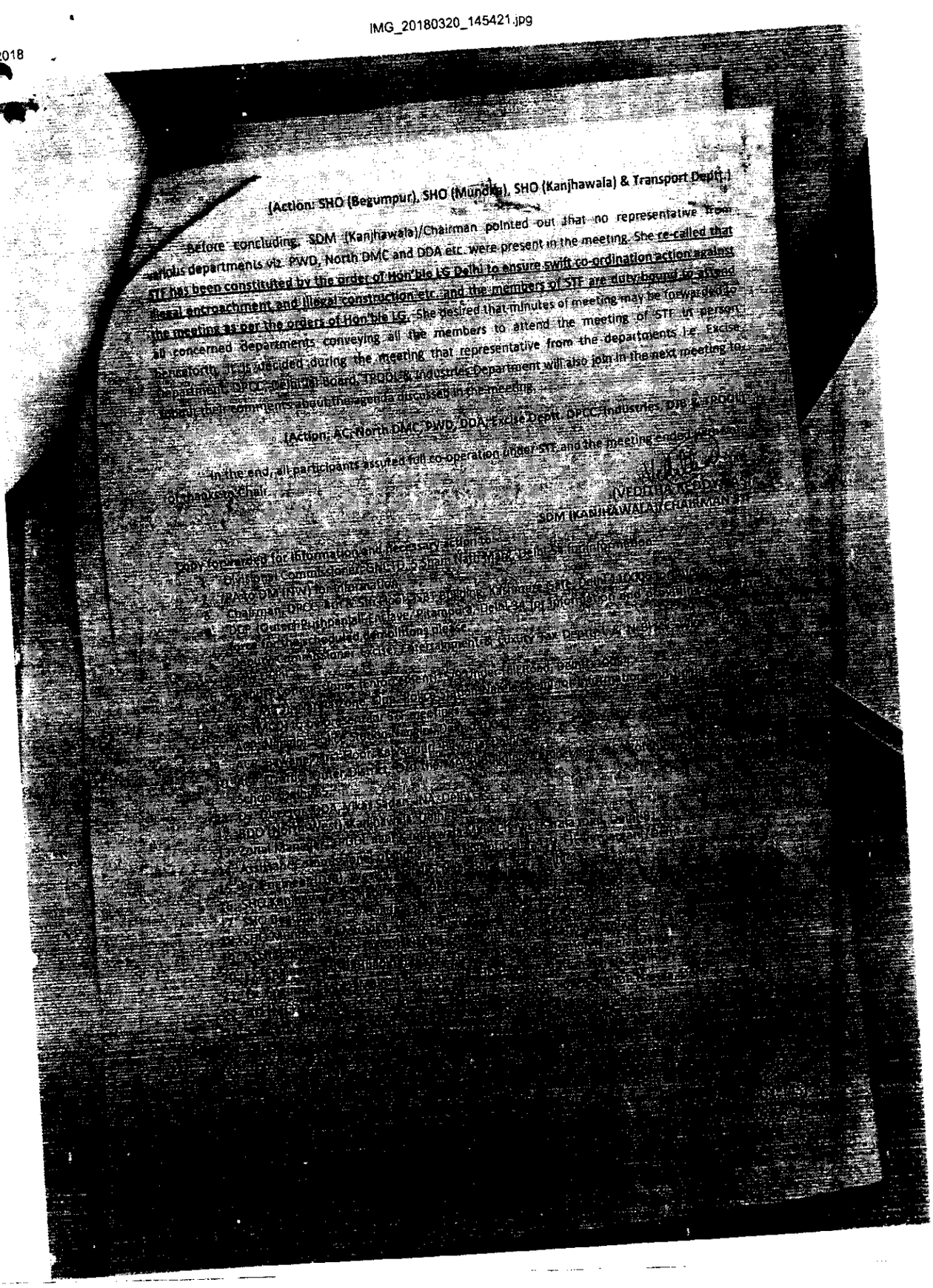

(Action: SHO (Begumpur), SHO (Mundka), SHO (Kanjhawala) & Transport Deptt.)

Before concluding, SDM (Kanjhawala)/Chairman pointed out that no representative from various departments viz. PWD, North DMC and DDA etc. were present in the meeting. She re-called that STF has been constituted by the order of Hon'ble LG Delhi to ensure swift co-ordination action against illegal encroachment and illegal construction etc. and the members of STF are duty bound to attend the meeting as per the orders of Hon'ble LG. She desired that minutes of meeting may be forwarded to all concerned departments conveying all the members to attend the meeting of STF in person henceforth. It is decided during the meeting that representative from the departments i.e. Excise Department, DPCC, Delhi Jal Board, TRODL & Industries Department will also join in the next meeting to submit their comments about the agenda discussed in the meeting.

(Action: AC, North DMC, PWD, DDA, Excise Deptt. DPCC, Industries, DJB & TRODL)

In the end, all participants assured full co-operation under STF and the meeting ended with a vote of thanks to Chair.

(VEDITHA REDDY)
SDM (KANJHAWALA)/CHAIRMAN STF

Copy forwarded for information and necessary action to:-

1. Divisional Commissioner, GNCTD, 5 Sham Nath Marg, Delhi-54 for information.
2. PA to DM (NW) for information.
3. Chairman, DPCC, [illegible] Kashmere Gate, Delhi [illegible]
4. DCP (Outer) [illegible] Pitampura, Delhi-34 [illegible]

[illegible]

...messagePartId=0.1